न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या **06 / 2023** — अन्तर्गत धारा 183, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. पोकरराम पुत्र नरसिंगाराम 2. पन्नाराम पुत्र नरसिंगाराम 3. बगताराम पुत्र नरसिंगाराम 4. सुरताराम पुत्र नरसिंगाराम जाति जाट, निवासी मौखाब कला तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. मेघाराम पुत्र अणदाराम 2. खुमाराम पुत्र कुम्भाराम 3. दौलाराम पुत्र अणदाराम 4. निम्बाराम पुत्र कुम्भाराम 5. पदमाराम पुत्र कुम्भाराम 6. माडूदेवी पत्नी कुम्भाराम 7. संजीया पत्नी अणदाराम जाति जाट, निवासी मौखाब कला तहसील शिव, जिला बाड़मेर 8. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक उण्डू 9. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया मौखाब 10. तहसीलदार शिव

उपस्थित :— वादीगण अधिवक्ता — श्री बालाराम गोदारा।

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 03.07.2025

वादीगण के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा मौखाब कला, तहसील शिव के खसरा नम्बर 307 रकबा 20.5985 हैक्टेयर का आया हुआ है। जिस पर वादीगण का निरन्तर कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है। वादीगण की अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाई हुई है। वादीगण की उक्त आराजी के सेढा सेढ ही प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि आयी हुई है। उक्त सेढा को लेकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हर समय विवाद रहता है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा कर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। वादीगण के शांतिप्रिय एवं ग्रामीण होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण, वादीगण की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण कर अपना पुख्ता कब्जा करने पर आमादा है। नेखमबंदी के दौरान वादीगण की भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जाना पर उन्हे कब्जा हटाने हेतु कहा गया तब प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा हटाने से मना कर दिया तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी में जबरदस्ती व बलपूर्वक प्रवेश कर उसे बेदखल करने की धमकियां दी गई। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उक्त विवादित आराजी के वादीगण रेकर्डेड खातेदार है तथा मौके पर काबिज काश्त है। अतः वादीगण द्वारा उक्त वाद प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में किये गये जबरन अतिक्रमण को हटाया जाकर उन्हे बेदखल करते हुए विवादित आराजी का कब्जा वादीगण को दिलवाने तथा वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करने बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया है।

वाद पंजीयन कर प्रतिवादीगण को जरिये [illegible] तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध [illegible] कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व में की गई नेखमबंदी की मौका फर्द व संलग्न नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के नक्शे के [illegible] संख्या B से L के मध्य की भूमि पर खसरा नम्बर 309 के खातेदारान् प्रतिवादीगण द्वारा करीब 3.10 बीघा भूमि पर कब्जा [illegible] पाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 12:07:32 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में वादी साक्ष्य में साक्ष्य स्वरूप वादीनी संख्या 3 पीडब्ल्यू 1 व स्वतंत्र गवाह डालूराम पीडब्ल्यू 2 द्वारा अपने—अपने बयान शपथ पत्र पेश किये गये तथा दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद को स्वीकार कर वादीगण की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल करते हुए वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये विधि विरूद्ध अतिक्रमण को हटाया जाकर जब्त करते हुए कब्जा वादीगण को दिलवाने तथा वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं किये जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया गया।

हमने वादीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण विवादित आराजी के रेकर्डेड खातेदार है। वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये विधि विरूद्ध अतिक्रमण को हटाकर मौके पर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलवाने का निवेदन किया गया है। उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व में की गई नेखमबंदी की मौका फर्द व नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के नक्शे के बिन्दु संख्या B से L के मध्य की भूमि पर खसरा नम्बर 309 के खातेदारान् प्रतिवादीगण द्वारा करीब 3.10 बीघा भूमि पर कब्जा होना साबित है। प्रतिवादीगण बावजूद तामिली पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अनुस्थित रहे है। वादी संख्या व स्वतंत्र गवाह द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र पेश कर वादीगण के खातेदारी खेत से प्रतिवादीगण का कब्जा व अतिक्रमण हटाने के लिए दावा पेश किया है। अतः उक्त स्थिति में वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण किया हुआ साबित होने पर वादीगण अपनी खातेदारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के विधिक अधिकारी होने से वाद को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी भूमि मौजा मौखाब कला, तहसील शिव के खसरा नम्बर 307 रकबा 20.5985 हैक्टेयर में भूमि की पैमाईश हेतु राजस्व टीम का गठन कर पैमाईश करने हेतु तहसीलदार शिव को निर्देशित किया जाता है, साथ ही विवादित आराजी में प्रतिवादीगण का अतिक्रमण व कब्जा पाया जाने पर नियमानुसार अतिक्रमण हटाया जाकर बेदखली की कार्यवाही करते हुए कब्जा वादीगण को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते है। आवश्यकता होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना शिव से पुलिस इमदाद प्राप्त की जावें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 03.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 12:07:32 IST
Reason: SelfAttested